प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महराजगंज

दिनांक- सितम्बर 16 , 2020

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर *156 वाहनों का चालान व 43 वाहनों से कुल 32500/-रूपया शमन शुल्क वसूल* किया गया शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।

कोरोना वायरस के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर बिना मास्क लगाये घुमने वालों पर तथा सोशल डिस्टेन्सिंग का उल्लंघन करने वालों पर धारा *188 भा0द0वि0 के अन्तर्गत कुल- 75* व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी व *मास्क न लगाने वाले कुल- 268 व्यक्तियों से 26800/- रुपये शमन शुल्क* वसुला गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से *कुल- 24 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार* कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध की गई कार्यवाही:- पुलिस अधीक्षक महराजगंज द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते

हुए कुल-02 अभि0गण को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 ली0 कच्ची शराब, व 12 शीशी नेपाली शराब बरामद की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है-

थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त गड्डू पुत्र बाशाम नि0 खैराती थाना नौतनवां के कब्जे से *12 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर *मु0अ0सं0- 164/20, धारा- 60/63 आबकारी अधिनियम* का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा0 न्या0 प्रेषित किया गया।

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त बच्चन पुत्र सूरबारी नि0 बेलवा काजी थाना कोतवाली के कब्जे से *10 ली0 कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर *मु0अ0सं0- 445/20, धारा- 60(1) आबकारी अधिनियम* का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा0 न्या0 प्रेषित किया गया।

उत्तर प्रदेश गैगेस्टर अधिनियम मे की गयी कार्यवाही-

थाना श्यामदेउरवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-* अभियुक्तगण
1. अजीत सिंह उर्फ जीतू पुत्र स्व0 रामसूरत
2. अखिलेश सिंह पुत्र हरिशंकर नि0गण परसिया इन्दरपुर थाना श्यामदेउरवा पर *मु0अ0सं0- 190/20, धारा- 3(1) उत्तर प्रदेश गैगेस्टर अधिनियम* का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा0 न्या0 प्रेषित किया गया।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए *कुल-19* विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

जनपद में 15/16-09-2020 को विभिन्न अपराधों में कुल- 28 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।